UPGK010062712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–2824/2026

प्रवेश साहनी, पुत्र- स्वामीनाथ, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी- हरसेवकपुर नँ०-2 नरिया टोला, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन- 273014.

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 298/2026

अंतर्गत धारा- 305(a), 331(4), 61(2), 317(2) भा०न्या०सं०

थाना- गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त प्रवेश साहनी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2824/2026, मु0अ0सं0- 298/2026, अंतर्गत धारा- 305(a), 331(4), 61(2), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना- गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है जो उक्त प्रकरण में जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दुर्गावती देवी क० इण्टर कालेज फुलवरिया गो० मे आज प्रातः 9.00 वजे दिनांक 11.04.2026 को विद्यालय खोला गया तो देखा गया कि प्रधानाचार्य के आफिस का जंगला तोड़कर विद्यालय मे रखी गयी कैमरे वाली टी०वी० तथा बच्चों की फीस 12000 रू0 सहित कागजात चोरी करके उठा ले गये। इसके पहले भी विद्यालय मे ऐसी घटनाएँ भी हो चुकी हैं।

3. दिनांक 26.04.2026 को उ०नि० रमेश यादव व उनके हमराहियान को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति तथा महिला चोरी किए जेवरात को बेचने हेतु लक्ष्य रिसार्ट के सामने रोड की दूसरी तरफ खडहर में खड़े हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके हम सभी पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर पहुँचकर मैं उ०नि० मय हमराह के सड़क किनारे उक्त व्यक्तियों को घेरघार कर पकड़ लिये। पकड़े गए व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उनमें से पहला व्यक्ति अपना नाम आदित्य यादव उर्फ दतहवा पुत्र सत्य प्रकाश यादव, दूसरे ने अपना नाम प्रवेश साहनी

पुत्र स्वामीनाथ, पहली महिला ने अपना नाम पुष्पा निषाद पुत्री राजकुमार निषाद व दूसरी महिला ने अपना नाम सरिता पासवान उर्फ कोमल पत्नी शनि निषाद बताया। प्रकाश यादव की जामा तलाशी से 15,000/- रूपए नगद व प्रवेश साहनी की जामा तलाशी से 17,000/- रूपए नगद बरामद किए गए। महिला पुष्पा निषाद की जामा तलाशी से उसके झोले से 50,000/- रूपए नगद, एक अदद पायल सफेद धातु, एक अदद जोड़ी बिछुआ सफेद धातु व एक अदद हार गले का पीली धातु बरामद हुए। दूसरी महिला सरिता पासवान की जामा तलाशी से उसके झोले से 28,000/- रूपए नगद, एक अदद चैन पीली धातु, एक अदद मनटीका पीली धातु, एक अदद पायल सफेद धातु बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताए कि दिनांक 24.02.2026 को कर्महा उर्फ करमिहा थाना गुलरिहा में घर में घुसकर हम लोगों ने ही जेवरात व कुछ रूपया चोरी किया था बाकी जेवरात शनि निषाद पुत्र राजकुमार तथा मनीष पुत्र लालचन्द के पास है। पुनः बताए कि दिनांक 10.04.2026 रात्रि में फुलवरिया दुर्गावती कन्या इन्टर कालेज में आफिस का जंगला तोड़कर एक टी०वी० तथा 12,000/- रूपए हम लोगों ने ही चोरी किया था जिसमें से बेचे हुए टीवी व 12,000/- रूपए में से हम लोगों के पास कुल 5,000/- रूपए ही शेष बचे हैं, बाकी पैसा हम लोगों द्वारा खर्च कर दिया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा मुकदमा उपरोक्त में फर्जी रूप से फंसा दिया गया है। तथाकथित रूप से बताए जा रहे प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर कोई भी आरोप वादी मुकदमा द्वारा नहीं लगाया गया है ना ही आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त किसी अवैध कार्य में कोई संलिप्तता नहीं है ना ही कोई चुराई हुई संपति बेईमानी पूर्वक अपने पास रखा है। आवेदक/अभियुक्त एक अन्य मुकदमे में दिनांक 26.04.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध था, पुलिस ने जेल से तलब कर आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में भी फर्जी ढंग से मुल्जिम बना दिया है। मुकदमा उपरोक्त में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है।" इन समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर गिरोहबन्द चोरी का अपराध कारित करता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, अब कोई विवेचना शेष नहीं है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के सह–अभियुक्त आदित्य यादव उर्फ दतहवा का नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुका है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त प्रवेश साहनी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2824/2026 को मु0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक-10.07.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:42:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court